

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प ऊँचा)

प्रकरण संख्या 746/23

दिनांक 23/6/23

उनवान

श्री धनराजनाथ पुत्र कन्हैयानाथ सा. हनुमान नगर


बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का ऊँचा भू.अ.नि. अमरवासी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम हनुमान नगर प. ह. ऊँचा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 468 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	ग्राम का नाम	धनराजनाथ पुत्र कन्हैयानाथ सा. कुचलवाडा खुर्द	धनराजनाथ पुत्र कन्हैयानाथ सा. हनुमान नगर

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि ::—

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी धनराजनाथ पुत्र कन्हैयानाथ सा. हनुमान नगर
- रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा